[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 09/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक 9801 के सामने विनिर्दिष्ट उप-मद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), संख्या 42/96-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 42 और उसके सामने विनिर्दिष्ट परियोजना के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और परियोजना अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

''43 उच्चगति रेल परियोजना।''

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई,1996 को भारत के राजपत्र, द्वारा सं. सा.का.नि.294(अ), तारीख तारीख 23 जुलाई,1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं.21/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 संख्या द्वारा संशोधित तथा सा.का.नि. 215(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।